Form No. III

APP-A

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......

......दिलीप......बनाम......घनश्याम......

किस्म मुकदमा......53 R. T......नं. ......20......सन्......2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2/25	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा......53......के अन्तर्गत वाद–पत्र ......दिलीप...... की ओर से अधिवक्ता......स्वयं...... द्वारा प्रस्तुत बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी./तहसीलदार प्रेषित कर तलब किया जावें। पत्रावली तलबी वास्ते दिनांक ......13/2/25...... को पेश हो।	
13/2/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। उभयपक्ष की ओर से राजीनामा बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं कब्जा अनुसार बंटवारा किये जाने पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी का सहमति अनुसार बंटवारा करवाना चाहते है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर राजीनामा अनुसार ग्राम खेडलीपांडे की खाता संख्या 37 की खसरा नं0 120 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 121 रकबा 0.52 है0 में से 0.01 है0 उत्तरी दिशा की आराजी का वादीगण को एवं खसरा नं0 121 रकबा 0.52 है0 में से 0.51 है0 दक्षिणी दिशा की आराजी का प्रतिवादी नं0 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाता है एवं राजीनामा अनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किया जाता है। विवादित भूमि पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। डिक्री पृथक से जारी किया गया। उक्त निर्णय आज दिनांक ......13/2/25...... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटा	दिलीप मीणा [illegible] घनालाल घनश्याम

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रे... | अर्जी के लिये स्टाम्प ... की फीस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटाः–0744–2325871

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1.दिलीप मीणा पुत्र श्री रामपाल जाति मीणा निवासी ठाकुर जी मन्दिर के पास राम खेडली तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2.हेमन्त पुत्र श्री रामपाल जाति मीणा निवासी रामखेड़ली तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–वादीगण

बनाम

1.घनश्याम पुत्र श्री मोडया जाति मीणा निवासी ग्राम खेड़ली पांडे तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2.धन्नालाल पुत्र मोडया जाति मीणा निवासी ग्राम खेड़ली पांडे तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
3.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

–:: वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::–

मुकद्‌मा नं. **20/2025**

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आपसी सहमति एवं कब्जा अनुसार बंटवारा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार कोई आपत्ति नहीं होने से ग्राम खेडली पांडे तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खाता संख्या नया 37 पुराना 49 के खसरा नं0 120 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 121 रकबा 0.52 है0, कुल किता– 2 रकबा 1.02 है0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है–

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
1. दिलीप पुत्र रामपाल जाति मीणा निवासी ठाकुर जी मन्दिर के पास राम खेडली हि0 1/2 2. हेमन्त पुत्र श्री रामपाल जाति मीणा निवासी रामखेड़ली हि0 1/2	120 121/1 किता 2	0.50 0.01 0.51	उत्तरी दिशा
3. घनश्याम पुत्र श्री मोडया जाति मीणा निवासी ग्राम खेड़ली पांडे हि0 4/5 राहिन 4/5 (पूर्ण खाता) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ताथेड़ 4. धन्नालाल पुत्र मोडया जाति मीणा निवासी ग्राम खेड़ली पांडे हि0 1/5 राहिन 1/5 (पूर्ण खाता) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोटा जंक्शन	121 किता 1	0.51 0.51	दक्षिणी दिशा

इस वाद के खर्चे लेखे...X....रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.... X .....द्वारा ..... X .....को दी जाए ।

यह डिक्री आज तारीख..13..माह..2...सन् 25.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1.वादपत्र के लिये स्टाम्प		.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा:–0744–2325871

2.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प 4.........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय 6.कमिष्नर की फीस 7.आदेषिका की तामील		अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेषिका की तामील कमिष्नर की फीस	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा